

सेवा में,

मुख्य प्रबन्धक,
ओमेक्स लिमिटेड,
साइबर टावर, द्वितीय तल,
विभूतिखण्ड, गोमतीनगर,
लखनऊ।

विषय:- भूखण्ड संख्या-ग्रुप हाउसिंग-4, सुल्तानपुर रोड, गोमतीनगर विस्तार जिला-लखनऊ में ओमेक्स इन्टीग्रेटेड टाउनशिप के अर्न्तगत संशोधित प्रस्तावित आवासीय भवन की प्रोविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

यूआईडी नम्बर-2016/26717/एलकेडब्ल्यू/लखनऊ/2224/जेडी दिनांक-29.12.16

कृपया अपने पत्र दिनांक-20.12.16 तथा आप द्वारा फायर सर्विस वेवसाइड पर अपलोड टिकट नम्बर-2016/26717/एलकेडब्ल्यू/लखनऊ/2224/जेडी दिनांक-29.12.16 के माध्यम से प्रश्नगत संशोधित प्रस्तावित समूह आवास भवन की प्रोविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

प्रश्नगत प्रस्तावित समूह आवास भवन के मानचित्र में प्राविधानित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं एवं अभिलेखों का भौतिक परीक्षण अग्निशमन अधिकारी, गोमतीनगर की आख्या दिनांक-30.12.16 मुख्य अग्निशमन अधिकारी, लखनऊ की आख्या दिनांक-03.01.17 एवं उप निदेशक फायर सर्विस परिक्षेत्र लखनऊ/फैजाबाद की आख्या दिनांक-03.01.17 का सुसंगत मानको के अनुसार परिशीलन किया गया जो निम्नवत है-

भवन की संरचना:-

1-कुल भूखण्ड एरिया-

69116.57 वर्गमीटर।

ब्लाक-ए-टावर-1

• भूतल का कर्वड एरिया-

575.335 वर्गमीटर।

• प्रथम तल का कर्वड एरिया-

496.532 वर्गमीटर।

• द्वितीय तल से 19 वें तल का टिपिकल कर्वड एरिया-

541.880 वर्गमीटर।

ब्लाक-ए-टावर-2

• भूतल का कर्वड एरिया-

575.335 वर्गमीटर।

• प्रथम तल का कर्वड एरिया-

496.532 वर्गमीटर।

• द्वितीय तल से 19 वें तल का टिपिकल कर्वड एरिया-

541.880 वर्गमीटर।

ब्लाक-बी-टावर-1

• भूतल का कर्वड एरिया-

575.335 वर्गमीटर।

• प्रथम तल का कर्वड एरिया-	496.532 वर्गमीटर।
• द्वितीय तल से 19 वें तल का टिपिकल कर्वड एरिया-	541.880 वर्गमीटर।
<u>ब्लाक-बी-टावर-2</u>	
• भूतल का कर्वड एरिया-	575.335 वर्गमीटर।
• प्रथम तल का कर्वड एरिया-	496.532 वर्गमीटर।
• द्वितीय तल से 19 वें तल का टिपिकल कर्वड एरिया-	541.880 वर्गमीटर।
<u>ब्लाक-एफ-टावर-1</u>	
• भूतल का कर्वड एरिया-	497.410 वर्गमीटर।
• प्रथम तल का कर्वड एरिया-	439.750 वर्गमीटर।
• द्वितीय तल से 19 वें तल का टिपिकल कर्वड एरिया-	462.560 वर्गमीटर।
<u>ब्लाक-जी-टावर-1</u>	
• भूतल का कर्वड एरिया-	372.970 वर्गमीटर।
• प्रथम तल का कर्वड एरिया-	342.030 वर्गमीटर।
• द्वितीय तल से 19 वें तल का टिपिकल कर्वड एरिया-	352.320 वर्गमीटर।
<u>ब्लाक-जी-टावर-2</u>	
• भूतल का कर्वड एरिया-	372.970 वर्गमीटर।
• प्रथम तल का कर्वड एरिया-	342.030 वर्गमीटर।
• द्वितीय तल से 19 वें तल का टिपिकल कर्वड एरिया-	352.320 वर्गमीटर।
<u>ब्लाक-जी-टावर-3</u>	
• भूतल का कर्वड एरिया-	372.970 वर्गमीटर।
• प्रथम तल का कर्वड एरिया-	342.030 वर्गमीटर।
• द्वितीय तल से 19 वें तल का टिपिकल कर्वड एरिया-	352.320 वर्गमीटर।
<u>क्लब-</u>	
• भूतल का कर्वड एरिया-	897.00 वर्गमीटर।
• प्रथम तल का कर्वड एरिया-	395.85 वर्गमीटर।
2-बेसमेन्ट का कर्वड एरिया-	53664.72 वर्गमीटर।
3-भवन के प्रत्येक टावर की ऊँचाई-59.90 मीटर।	
भवन का अधिभोग एवं हैजार्ड श्रेणी-प्रश्नगत भवन का अधिभोग एन0बी0सी0 की आवासीय श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।	
ढाँचागत व्यवस्था -	
1-पहुँच मार्ग-भूखण्ड के सामने मानचित्र मे 45.00 मी0 रोड की चौड़ाई है।	
2-दो प्रवेश व दो निकास द्वार प्रत्येक की चौड़ाई-04.50 मी0 है जो मानक के अनुसार है।	
3-सेटबैक-भवन का न्यूनतम सेटबैक निम्नवत है-	

- अग्रभाग— 16.00 मीटर।
- पृष्ठभाग— 16.00 मीटर।
- पार्श्वभाग प्रथम— 16.00 मीटर।
- पार्श्वभाग द्वितीय— 16.00 मीटर।

उपरोक्त भवन के सैटबैक भवन विनियमावली के अनुसार है सैटबैक सदैव अवरोध मुक्त रखे जायेंगे। सैटबैक में किसी प्रकार का स्थाई/अस्थायी निर्माण कार्य मान्य नहीं होगा। भवन के बेसमेन्ट का कुछ भाग बिल्डिंग एनवलप से बाहर है इसलिए स्ट्रक्चरल इंजीनियर द्वारा बेसमेन्ट की छत का भार वहन क्षमता 45 टन सहन करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

4-निकास मार्ग—प्रस्तावित भवन के प्रत्येक टावर में 02 स्टेयर केस प्रत्येक की चौड़ाई—01.50 मीटर का प्राविधान किया गया है जिनकी फ्लोर के समस्त स्थानों से टेवलिंग डिस्टेंस अधिकतम अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत हैं।

5-रिफ्यूज एरिया का विवरण—प्रत्येक आवासीय फ्लैट में बालकनी प्रस्तावित है।

अग्नि सुरक्षा व्यवस्था—नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इंडिया—2005 के अनुसार निम्नांकित अग्निशमन व्यवस्था पूर्ण की जानी अनिवार्य हैं।

1-भूमिगत टैंक—भूमिगत टैंक—150000 ली० क्षमता का मानचित्र में प्राविधानित है। परन्तु भूमिगत टैंक 400000 लीटर क्षमता का निर्मित किया जाना आवश्यक होगा।

2-पम्प—भूमिगत टैंक के पास में पम्प—2280 एलपीएम क्षमता का 06 विद्युत चालित पम्प 03 डीजल चालित पम्प 2280 एलपीएम क्षमता तथा 06 जौकी पम्प 180 एलपीएम क्षमता का प्राविधान मानचित्र में किया गया है।

3-होजरील—प्रस्तावित भवन के प्रत्येक टावर के प्रत्येक तल पर होजरील लैण्डिंग वाल्व आई०एस०—3844 मानको के अनुसार प्राविधानित हैं।

4-वेटराइजर—प्रस्तावित भवन के प्रत्येक टावर में वेटराइजर सिस्टम एन०बी०सी०—2005 के मानको के अनुरूप प्राविधानित है।

5-यार्ड हाइडेन्ट्स—प्रस्तावित सम्पूर्ण भवन परिसर में यार्ड हाइडेन्ट्स होज कैबिनेट एवं उसमें डिलीवरी होज तथा ब्रांच पाइप एवं फायर सर्विस इन्लेट का प्राविधान किया गया है।

6-हस्तचालित इलैक्टिक फायर एलार्म सिस्टम—भवन के प्रत्येक टावर में मैनुवल आपरेटिड इलैक्टिक फायर एलार्म सिस्टम का प्राविधान एन०बी०सी० मानको के अनुसार प्राविधानित है।

7-स्वचालित डिटेक्शन एण्ड एलार्म सिस्टम—भवन के प्रत्येक टावर के प्रत्येक तल पर आटोमेटिक डिटेक्शन एण्ड एलार्म सिस्टम का प्राविधान एन०बी०सी० मानको के अनुसार प्राविधानित है।

8-स्वचालित स्पिंकलर सिस्टम—बेसमेन्ट सहित प्रत्येक टावर के प्रत्येक तल पर आटोमेटिक स्पिंकलर सिस्टम का प्राविधान एन०बी०सी० मानको के अनुसार प्राविधानित है।

9-टैरिस टैंक—भवन के प्रत्येक टावर व क्लब के टैरिस पर टैरिस टैंक—10000 ली० क्षमता का प्राविधान किया जाना आवश्यक होगा।

10-टैरिस पम्प—क्लब के टैरिस पर 450 एलपीएम क्षमता का टैरिस पम्प स्थापित कराया जाना प्राविधानित है।

(4)

11-प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर)-भवन के प्रत्येक टावर के प्रत्येक तल पर फायर एक्सटिंग्यूशर आई0एस0-2190 के अनुसार प्राविधानित है, जो मानको के अनुरूप है।

12-स्मोक एक्सट्रैक्शन सिस्टम-भवन के बेसमेन्ट में एन0बी0सी0 मानकों के अनुरूप स्मोक एक्सट्रैक्शन सिस्टम स्थापित कराया जाना आवश्यक होगा।

13-एग्जिट साइनेज-सम्पूर्ण भवन में एग्जिट साइनेज प्राविधानित किया जाना आवश्यक होगा।

14-पी0ए0सिस्टम-सम्पूर्ण भवन में पी0ए0 सिस्टम की व्यवस्था प्राविधानित किया जाना आवश्यक होगा।

उपरोक्तानुसार खसरा नं0-ग्रुप हाउसिंग-4, सुलतानपुर रोड, गोमतीनगर विस्तार जिला लखनऊ में ओमेक्स इन्टीग्रेटेड टाउनशिप के अन्तर्गत प्रस्तावित संशाधित समूह आवास भवन के निर्माण हेतु अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत की जाती है कि आवेदक द्वारा भवन/इकाई में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्रस्तावित प्राविधान भवन विनियमावली तथा नेशनल विल्डिंग कोड आफ इंडिया-2005 में उल्लेखित मानको के अनुसार कराये जायेंगे तथा भवन के निर्माणोपरान्त भवन का प्रयोग करने से पहले भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थाये मानको के अनुसार भौतिक रूप से स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर अन्तिम अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा अन्यथा निर्गत किया जा रहा भवन निर्माण हेतु प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

संलग्नक-अनुमोदित मानचित्र।

(जे0के0 सिंह)

संयुक्त निदेशक(पी0),
फायर सर्विस कब्जालय,
लखनऊ-2000
(011) 2622 1000

प्रतिलिपि-

- 1- उप निदेशक, फायर सर्विस परिक्षेत्र लखनऊ/फैजाबाद को सूचनार्थ एवं समस्त अभिलेखों के सुरक्षित रख रखाव तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 2- मुख्य अग्निशमन अधिकारी, लखनऊ को सूचनार्थ एवं समस्त अभिलेखों के सुरक्षित रख रखाव तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 3- अग्निशमन अधिकारी, गोमतीनगर, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।